# न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

## रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 16/2023

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी अजमेर

– प्रार्थी

**बनाम**

1.श्री अहमद अली पुत्र श्री रहमत अली जाति मुसलमान निवासी शीशा खान वार्ड नं0 11, अजमेर

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी प्रार्थी
2. श्री बी.एस शेखावत अभिभाषक अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

**–ःआदेशः–**

दिनांक 27.03.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि 31.01.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा लकडी की टाल, शमशान घाट के सामने, पहाडगंज अजमेर पर वाहनो में अवैध रूप से गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुॅच कर जॉच कार्यवाही की गयी । मौके पर श्मशान घाट के सामने लकडी की टाल पर मारूति वाहन संख्या RJ-01-UB-4983 में पीछे किट के अन्दर एक घरेलू एलपीजी सिलेण्डर को उल्टा कर एक इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन से गैस भरा जाना पाया गया तथा मौके पर अन्य दो मारूति वैन व दो ऑटो रिक्शा का भी वाहन में गैस भरवाने के प्रयोजन से खडा होना पाया गया । मौके पर गैस भरने वाले व्यक्ति श्री योगेश शर्मा उर्फ राजू पुत्र श्री मदन मोहन शर्मा निवासी स्कूल के पास, पहाड गंज अजमेर द्वारा परिसर स्वयं का होना बताया गया तथा मौके पर श्री योगेश द्वारा प्रति घरेलू सिलेण्डर वाहन में 1200 रूपये की दर पर रिफिलिंग किया जाना पाया गया । मौके पर एक छोटी कोटरी (कमरा) में विघुत कनेक्शन के माध्यम से रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर संचालित होना पाई गई तथा इस कमरे में 06 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा, दो और पाईप व रेगुलेटर जुडी हुई एक गैस रिफिलिग इलेक्ट्रिक मशीन, एक प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक डिजीटल कांटा एवं तीन पीतल की बांसूरी (गैस रिफिलिंग जुगाड यंत्र) का होना पाया गया । मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री अहमद अली पुत्र श्री रहमत अली द्वारा स्वयं को परिसर में खडो आटो रिक्शा संख्या RJ-14-PE-2216 का चालक एवं

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

मालिक होना बताया गया परन्तु उक्त द्वारा ऑटो के स्वामित्व सबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गए। साथ ही उक्त चालक द्वारा 90 रूपये प्रति किलो की दर पर एलपीजी भण्डारण सम्बन्धी ऑटो में भरना तय होना बताया गया । मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री रमाकांत शर्मा द्वारा श्री योगेश शर्मा से 40 रूपये की दर पर पूरा सिलेण्डर वाहन में भरवाया जाना बताया गया। वक्त जांच उपस्थित व्यक्तियों के पास एल.पी.जी रिफलिंग, एल.पी.जी भण्डारण सम्बंधी कोई अनुज्ञा पत्र व अनुमति पत्र नही होना पाया गया तथा परिसर में उक्त व्यक्तियों द्वारा समानान्तर पेट्रोल पंप की तरह एलपीजी कार्य किया जाना पाया गया । इनका यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के घनी आबादी क्षेत्र में गैस रिफलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारक व जोखिमपूर्ण है जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रबल सम्भावना थी। वक्त जांच अवैध गैस रिफलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर आटो रिक्शा संख्या RJ-14-PE-2216 को कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी पुलिस थाना रामगंज को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गए तथा मौके पर ही श्री योगेश शर्मा से कुल 7 घरेलू गैस सिलेण्डर वाहन चालक श्री रमाकांत शर्मा से एक एक घरेलू एलपीजी भरे हुए सिलेण्डर जब्त किए गए। एवं दो इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीने एक प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक कांटा एवं तीन पीतल की बांसुरी व तीन टूटे हुए प्रेशर रेगूलेटर को कब्जेराज कर श्री हसंराज पुत्र श्री नाथूराम जटिया, कार्मिक ख्वाजा गैस एजेन्सी अजमेर को यथास्थिति सुपुर्दगी में दिये गये। अतः इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4(1) (a) (b) (c) (d) (2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा मारूति आटो रिक्शा संख्या RJ-14-PE-2216 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी 1 जरिये अभि. श्री बी.एस शेखावत उपस्थित। इसी दौरान श्री बी.एस.शेखावत ने जरिये अभि. प्रा. पत्र मय वकालतनामा. पेश किया। जो शामिल मिसल है अप्रार्थी की ओर से प्रा.पत्र वास्ते जब्तशुदा आटो रिक्शा संख्या RJ-14-PE-2216 को सुपुर्दगीनामे पर छोडने का प्रस्तुत किया गया। प्रकरण सुनवाई दौरान अप्रार्थी उनके अभि. उपस्थित आये।

पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस कथन किया कि 31.01.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा लकडी की टाल, शमशान घाट के सामने, पहाडगंज अजमेर पर वाहनो में अवैध रूप से गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुँच कर जॉच कार्यवाही की गयी । मौके पर श्मशान घाट के सामने लकडी की टाल पर मारूति वाहन संख्या RJ-

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

01-UB-4983 में पीछे किट के अन्दर एक घरेलू एलपीजी सिलेण्डर को उल्टा कर एक इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन से गैस भरा जाना पाया गया तथा मौके पर अन्य दो मारूति वैन व दो ऑटो रिक्शा का भी वाहन में गैस भरवाने के प्रयोजन से खडा होना पाया गया । मौके पर गैस भरने वाले व्यक्ति श्री योगेश शर्मा उर्फ राजू पुत्र श्री मदन मोहन शर्मा निवासी स्कूल के पास, पहाड गंज अजमेर द्वारा परिसर स्वयं का होना बताया गया तथा मौके पर श्री योगेश द्वारा प्रति घरेलू सिलेण्डर वाहन में 1200 रूपये की दर पर रिफिलिंग किया जाना पाया गया । मौके पर एक छोटी कोटरी (कमरा) में विघुत कनेक्शन के माध्यम से रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर संचालित होना पाई गई तथा इस कमरे में 06 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा, दो और पाईप व रेगूलेटर जुडी हुई एक गैस रिफिलिग इलेक्ट्रिक मशीन, एक प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक डिजीटल कांटा एवं तीन पीतल की बांसूरी (गैस रिफिलिंग जुगाड यंत्र) का होना पाया गया । मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री अहमद अली पुत्र श्री रहमत अली द्वारा स्वयं को परिसर में खडी आटो रिक्शा संख्या RJ-14-PE-2216 का चालक एवं मालिक होना बताया गया परन्तु उक्त द्वारा मारूती के स्वामित्व सबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गए। साथ ही उक्त चालक द्वारा 90 रूपये प्रति किलो की दर पर एलपीजी भण्डारण सम्बन्धी ऑटो में भरना तय होना बताया गया । मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री रमाकांत शर्मा द्वारा श्री योगेश शर्मा से 40 रूपये की दर पर पूरा सिलेण्डर वाहन में भरवाया जाना बताया गया। वक्त जांच उपस्थित व्यक्तियों के पास एल.पी.जी रिफलिंग, एल.पी.जी भण्डारण सम्बंधी कोई अनुज्ञा पत्र व अनुमति पत्र नही होना पाया गया तथा परिसर में उक्त व्यक्तियों द्वारा समानान्तर पेट्रोल पंप की तरह एलपीजी कार्य किया जाना पाया गया । इनका यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के घनी आबादी क्षेत्र में गैस रिफलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारक व जोखिमपूर्ण है जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रबल सम्भावना थी। वक्त जांच अवैध गैस रिफलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर आटो रिक्शा संख्या RJ-14-PE-2216 को कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी पुलिस थाना रामगंज को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गए तथा मौके पर ही श्री योगेश शर्मा से कुल 7 घरेलू गैस सिलेण्डर वाहन चालक श्री रमाकांत शर्मा से एक एक घरेलू एलपीजी भरे हुए सिलेण्डर जब्त किए गए। एवं दो इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीने एक प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक कांटा एवं तीन पीतल की बांसुरी व तीन टूटे हुए प्रेशर रेगूलेटर को कब्जेराज कर श्री हसंराज पुत्र श्री नाथूराम जटिया, कार्मिक ख्वाजा गैस एजेन्सी अजमेर को यथास्थिति सुपुर्दगी में दिये गये। अतः इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4(1) (a) (b) (c) (d) (2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा आटो रिक्शा संख्या RJ-14-PE-2216 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे। जवाब में अप्रार्थी के अभि. ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

6 ए मुकदमें के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त आटो रिक्शा संख्या RJ-14-PE-2216 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित इसके अनुसरण में वाहन उनको सुपुर्दगीनामें पर सौपे जाने का आदेश प्रदान कराने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा लकडी की टाल, श्मशान घाट के सामने पहाड गंज अजमेर पर अवैध गैस रिफिलिंग की मिली शिकायत पर की गई जांच दौरान मौके पर मारूति वाहन संख्या RJ-01-UB-4983 में गैस भरवाने के लिए श्री योगेश के पास लाया जाना पाया गया । उस समय वैन चालक/मालिक श्री मोहम्मद फेजुदीन स्वंय मौके पर मौजूद था उसकी मौजूदगी में घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस को उक्त रिफिलिंग मशीन के जरिये उपरोक्त मारूति वैन में भरी जाकर अवैध कृत्य किया जा रहा था इससे उपरोक्त वाहन में घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस का अवैध उपयोग किया जाना/ होना स्पष्ट है इस प्रकार अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर कीं गैस को रिफिलिंग मशीन द्वारा ऑटो रिक्शा के किट में भरे जाने आटो रिक्शा संख्या RJ-14-PE-2216 वजह सबूत के कब्जेराज लिया गया। अप्रार्थी ने मारूति वैन को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। उपरोक्त स्थिति के तहत अप्रार्थी स. 1 द्वारा एल.पी.जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के खण्ड सं. 3(1) (C) 4(1) (a) (e) तथा 6 का उलंघन स्पष्ट है जो आवश्यक वस्तु अभि. 1935 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त आटो रिक्शा संख्या RJ-14-PE-2216 के लगी गैस किट में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिग मशीन को सहायता से गैस भरवाने/उपयोग के साबित होने के फलस्वरूप रूपये 10,000/—अक्षरे दस हजार रूपये मात्र का जुर्माना किया जाता है, सम्बन्धित ऑटो रिक्शा मालिक द्वारा जुर्माना राशि (शास्ति) अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.03.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर